बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
कार्यालय आदेश

आदेश सं0 – 6/वि01 –109/16– 155 पटना, दिनांक– 26/7/17

वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति कार्यक्रम हेतु टोलों के आच्छादन, जलगुणवत्ता एवं योजनाओं के परिचालन एवं रख–रखाव तथा सस्टेनेबिलिटी कार्य हेतु पी0 एल0 खाता में जमा राशि से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फंड में हस्तांतरित करने हेतु कुल रु0 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये मात्र) की राशि की विमुक्ति।(प्रथम किस्त) हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति कार्यक्रम हेतु टोलों के आच्छादन, जलगुणवत्ता एवं योजनाओं के परिचालन एवं रख रखाव तथा सस्टेनेबिलिटी कार्य हेतु 201.02 लाख रुपया (दो करोड़ एक लाख दो हजार रुपये मात्र) पी0 एल0 खाता में उपलब्ध राशि में से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फंड में **जनजातीय क्षेत्र उप योजना मद से** प्रथम किस्त के रुप में हस्तांतरित करने हेतु कुल रु0 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये मात्र) की राशि निम्न तालिका के अनुसार विमुक्त की जाती है।

(राशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	1.4.17 को पी0एल0 खाता में उपलब्ध राशि	वर्ष 2017–18 में पी0 एल0 खाता में जमा की गयी राशि	पी0 एल0 खाता में कुल जमा राशि (स्तम्भ 3 + 4)	पी0 एल0 खाता में जमा राशि से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फंड में हस्तांतरित करने हेतु प्रस्तावित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर उर्जा चालित पंप के साथ मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण ।	2.33	50.00	52.33	26.00	
2	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रभावित टोलों /बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पॉच वर्षो के रख रखाव एवं परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना की स्वीकृति ।	7.00	50.00	57.00	28.00	
3	चापाकलों का निर्माण ।	1.00	50.00	51.00	26.00	
4	पाईप जलापूर्ति योजना / गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा परिचालन एवं रख रखाव ।	1.73	38.96	40.69	20.00	
	कुल	12.06	188.96	201.02	100.00	

(एक करोड़ रुपये मात्र)

2. इस आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के अनुज्ञेय सीमा के ही अधीन वित विभाग के पत्रांक- एम0-4-53/2190,दिनांक-- 17.03.08 में दिये गये निदेश के आलोक में ही व्यय की जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी वित विभाग के पत्र संख्या- 5537, दिनांक- 24.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत अभियंता प्रमुख --सह --विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी, जो सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड,पटना से चेक के माध्यम से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या -- 267, विपत्र कोड-- L8448001200041 से निकासी की जायेगी। राशि की निकासी कर बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी एवं तदोपरांत कार्य की आवश्यकतानुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

APSingh 26-7-2017

(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख --सह --विशेष सचिव

ज्ञापांक 6/वि01-109/16- 1850 पटना, दिनांक-- 26/7/17

प्रतिलिपि-- महालेखाकार, बीरचंद पटेल पथ, बिहार,पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन,पटना / सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख--सह--विशेष सचिव--सह--सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/मुख्य अभियंता (नागरिक)/मुख्य अभियंता (रुपांकण)/ परियोजना निदेशक SPMU/अधीक्षण अभियंता (मो0) को दो प्रतियों सहित /उपनिदेशक (मू0)/कार्यपालक अभियंता (मो0- 1) /कार्यपालक अभियंता (मो0- 2)/निदेशक, पी0एम0यू0/निदेशक,सी0सी0डी0यू0/सहायक अभियंता (मो0)/ प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/आई0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी -- 4 एवं 6, कार्यवाह सहायक प्रशाखा - 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु/रोकड़पाल,बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

APSingh 26-7-2017

(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख --सह --विशेष सचिव